मानव विकास एवं अधिकार केन्द्र संस्थान केन्द्र राजस्थान

MVAKS

वार्षिक प्रतिवेदन 2019..2020

प्रधान कार्यालय :– 125/31, नोन करन का आहाता, नगरा अजमेर राजस्थान , फोन न. 0145. 2663744 मोबाइल न. 8854812974, 6367428302, ईमेल पता :–उओंरउमत/हउंपसणबवउ ॅमइेपकम रू. ीजजचध्ध्उओण्नदव

सचिव की कलम से.......

जैसा कि विदित है कि आज भी अनेको योजनाओ, नीतियों, कानूनों एव अधिनियमों के होने के बावजूद भी लोगो की आथिक, सामाजिक, अशिक्षा एवं स्वास्थय और विधिक जानकारी न होना देखा जाता है जिसका मुख्य कारण जागरूकता न होना। बचपन से ही मध्यमवर्ग परिवार में जन्म होने के कारण जीवन सधर्षमय रहा और गरीब परिवार होने के कारण अभिभावक अधिक न पढा पाने के कारण बचपन से ही कार्य पर लग जाना और उसके बाद शिक्षा की चाहत ने फिर से कई वर्षो से अध्ययन छोड पाने के बाद भी फिर से मित्रों, सहयोगियों एवं अध्यापकों एवं प्राध्यापकों के सहयोग से समाजशास्त्र में स्नोत्कोतर शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद विधि में स्नातक किया जो सफर बहुत ही मुश्किल था किन्तु सहयोग और लग्न के कारण सब कुछ हो गया किन्तु जहन में एक बात आती थी कि मेरे ही तरह से कई लोग शिक्षा से वंचित हो जाते होगे कई लोग कई दिनों भूख रहते होगे लोगो का स्वास्थ्य आर्थिक रूप से कमजोर है इन सब कारण है गाईडेस एवं रूपयों की कमी धीरे धीरे छोटे सामाजिक कार्य लोगो की समस्याओं को जानना फिर उस पर किस प्रकार कार्यवाही एव उसका समाधान के लिय प्रेरित रहने एक आदत बन गई और इसी आदत ने मुझे एक सामाजिक संस्था ने मुझे एक मंच दिया और वहॉ से मेरा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार करने के लिये प्रेरित किया और मै इसके लिये सभी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सहदिल से धन्यवाद देता हूॅ

किन्तु संस्थानों का अपना अपना कार्य एव अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है लोगो में एक संस्था के माध्यम से और अधिक जागरूकता जिसमे महिलाओ की समस्याओं लोगो की समस्याओं को नजदीकी से देखने के कारण मन मे विचार आया और लोगो से बातचीत की एक टीम बनाई जाये जिसके माध्यम से जन सहयोग एव जन सहभागिता से उनके सुख दुख में भागीदारी निभा कर उनके लिये कार्य किया जायें।

एक टीम के माध्यम वर्ष 2011 से एक सस्थान का पंजीकरण की प्रक्रिया की और जनवरी 2012 को मानव विकास एव अधिकार केन्द्र संस्थान के नाम एक संस्थान की स्थापना की गई और एक सफर शुरू हुआ लोग जुडते गये और लोगो को जागरूकता एव कार्यवाही एवं विधिक कार्यवाही एव जागरूकता के क्रम में कार्यक्रमो कार्यशालाओ का आयोजन किया गया जा रहा।

ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण एव विकास में कई कार्यक्रमों का जिसमे शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य में उसके विकास के कार्यक्रम सरकार की योजनाओं पर कार्यक्रम महानरेगा योजनाओ चुनावों, खान मजदूरो स्व रोजगार से जोडने का प्रयास कियें गयें।

इस प्रकार विभिन्न गतिविधियों एव कार्यक्रमों का सफल सचालन से लोगो को जुडावा होने लगा और जिसका विवरण के वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में आपश्री हाथों में है। मै इस संस्थान एवं सस्थान के सभी कार्यकर्ताओं के उज्जल भविष्य की कामना करता हूॅ।

रमेश चन्द बंसल

सचिव

अध्यक्षीय सम्बोधन ....

मै अपार खुशी के साथ यह वार्षिक प्रतिवेदन आप सभी प्रबुद्वजनों के कर कमलो में समर्पित कर रही हूॅ जिसे मानव विकास एव अधिकार केन्द्र संस्थान अजमेर राजस्थान हर वर्ष की भांन्ति इस वर्ष भी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हैं विगत 5 वर्षो से सस्थान लगातार सामाजिक शैक्षिक, स्वास्थ्य, जागरूकता कार्यवाही आदि विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न विकास की योजनाओं एवं गतिविधियों का विभिन्न सहभागी सरकारी एव गैर सरकारी संस्थाओं के के साथ मिलकर उनके सहयोग एव मार्गदर्शन से सफल संचालन कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं का शोध एव आकलन एवं उनका किस प्रकार कमाधान कर सके के विचार विमर्श के साथ एवं उक्त समस्याओं निराकरण करने के उद्वेश्यो को लेकर सन् 2011 से मानव विकास एव अधिकार केन्द संस्थान एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में अस्थित्व में आया तब से आज तक संस्थान विभिन्न कार्यक्रमों एव परियोजनाओ के माध्यम गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय जागरूकता, महिलाओ को प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार से जोडने का कार्य, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, हिंसा एव विभिन्न मुदद्ो पर कार्य करते हुये अपने उद्वेश्यों की प्राप्ति योजनाबद्व रूप से अग्रसर एव प्रयासरत है।

संस्थान राजस्थान में कई जिलो में जिसमे अजमेर, कि विभिन्न तहसील पींसागन, ब्यावर, किशनगढ, भिनाय, सरवाड केकडी एव नसीराबाद पाली, नागौर, भीलवाडा, टोंक, दौसा, जयपुर, अलवर भरतपुर करौली एवं बीकानेर सहित अन्य कई जिलो एवं तहसीलों में अपने नेटवर्क स्थापित कर जन सहयोग से कार्यक्रम के लिये प्रयासरत है।

संस्थान को अपने उद्वेश्यों की प्राप्ति हेतु संचलित विभिन्न गतिविधियों एव कार्यक्रमों का सफल संचालन के लिये जन सहयोग एव सहभगिता से कार्यक्रम का सफल सचालन किया जा रहा है और संस्थान को अभी कही से लधु वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ किन्तु संस्थान के कर्मठ कार्यकर्ता एव सहयोगियों की मेहनत लगन, प्रयासों के लिये मै उनका आभार प्रकट करत

श्रीमति प्रेमलता

अध्यक्ष

पृष्ठभूमि .....

मानव विकास एव अधिकार केन्द्र संस्थान, अजमेर राजस्थान संस्था पंजीकरण सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 28 के तहत एव आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए के तहत पंजीकृत है। 24 जनवरी 2012 को पंजीकृत हुई जिसका पंजीकरण क्रमांक 181/11..12 है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए के तहत पंजीकृत है इसके अलावा आयकर आयुक्त जयपुर कार्यालय में आयकर अधिनियम की धारा 1961 के तहत 80 जी में पंजीकरण हेतु प्रक्रिया में लंम्बित है।

मानव विकास एव अधिकार केन्द्र संस्थान, अजमेर राजस्थान जिसमे ग्रामीण व शहरी मानव विकास एव अधिकार एव उत्थान, विकास, अधिकारो के लिये विशेष के लिये गठित स्वेच्छिक संगठन है। जिसमे ग्रामीण एव शहरी समुदाय के साथ सामाजिक व आर्थिक एव सशक्तिकरण एव आजीविका, सामाजिक सरकारी योजना से जोडना एव लाभ दिलवाने के अलावा शिक्षा, में बालक व बालिका शिक्षा को बढावा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र घातक बिमारियों की रोकथाम एव इलाज के लिये प्रेरित करना एव पर्यावरण जागरूकता, मतदान के लिये प्रेरित करना इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिये विकास एवं अधिकारों पर विधिक जानकारी एव जागरूकता के अलावा उप्हे रोजगार से जोडने के लिये स्वय सहायता समूहो का निर्माण, सरकार, पुलिस व प्रशासन के सहयोग से लोगो में जागरूकता और उनके जीवन स्तर को उठाना मुख्य उद्वेश्य है, इसके अलावा वर्तमान में संस्थान द्वारा अजमेर जिले के विभिन्न तहसीलो, पंचायतो, के ग्प्रमों एव ढाणियों में जागरूकता के क्रम में कैम्प, कार्यक्रम, शिविर एव कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा पाली, दौसा टोक, भीलवाडा, नागौर, दूदू, जयपुर करौली आदि जिलो में सस्थान को कार्य को विस्तारित किया जा रहा है।

संस्थान के विजन, मिशन एव उद्वेश्य –

मिशन

संस्थान द्वारा पिछडे वर्ग, अभाव ग्रस्त एव गंरीब एव वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं से जोडना, व लाभ दिलवाना एव उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना उनकी सामाजिक व आर्थिक एव सशक्तिकरण एव आजीविका, सामाजिक सरकारी योजना से जोडना एव लाभ दिलवाने के अलावा शिक्षा, में बालक व बालिका शिक्षा को बढावा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र घातक बिमारियों की रोकथाम एव इलाज के लिये प्रेरित करना एव पर्यावरण जागरूकता, मतदान के लिये प्रेरित करना इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिये विकास एवं अधिकारों पर विधिक जानकारी एव जागरूकता के अलावा उप्हे रोजगार से जोडने के लिये स्वय सहायता समूहो का निर्माण, सरकार, पुलिस व प्रशासन के सहयोग से लोगो में जागरूकता और उनके जीवन स्तर को उठाना उन्हे सशक्त/जागरूक करना संस्थान का मुख्य मिशन है।

उद्वेश्य

संस्थान अजमेर के विभिन्न तहसीलो/ब्लाको मे जिसमे महिलाओं को कानूनी जानकारी के लिये कार्यक्रम प्रशिक्षण एव जागरूकता कार्यक्रम करना।

- ❖ महिला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, जिसमे मतदान के लिये जागरूक करना।
- ❖ महिलाओं के लिये घरेलु हिंसा के लिये, परामर्श केन्द्र, सशक्तिकरण पर कार्यक्रम एव कार्यशालाओ का आयोजन करना।
- ❖ महिलाओ के लिये कार्यस्थल पर हिंसा के लिये सरकार, पुलिस, प्रशासन, के साथ मिलकर एडवोकेसी का कार्य करना।
- ❖ महिलाओ के प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना, न्यायालय मे उनके केसो की पैरवी करना।
- ❖ महिलाओ की राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी बढाने के लिये अभियान एव कार्यक्रम करना एव उनके स्वास्थ्य के लिये न्यूरोथैरिपस्ट कैम्प एव परामर्श केन्द्र का आयोजन करना।
- ❖ खान मजदूरो व अन्य संगठित एव असंगठित मजदूरो की एवं उनकी आर्थिक, सामाजिक एव स्वास्थ्य सम्बिन्धित सर्वे कार्य कर उनके लिये स्थास्थ्य जॉच हेतु कार्यक्रम करना।
- ❖ कमजोर वर्ग की महिलाओ को रोजगार से जोडने के प्रशिक्षण व कार्यशाला, कार्यक्रमो का आयोजन करना।
- ❖ बालिका शिक्षा एवं स्कूल में मिड डे मील एव शिक्षा की गुणवता हेतु कार्यक्रम करना एवं महिलाओ एव बच्चों से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाना।
- ❖ महिला पेशन योजनाओ पर जानकारी उपलब्ध करवाना।
- ❖ नरेगा पर कार्यक्रम, कार्यशाला एव प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन करना।
- ❖ सरपंच एव वार्ड पंचों पंचायत एवं जनप्रतिनियों को प्रशिक्षण एवं जागरूक करना।
- ❖ वार्ड पार्षद एव वार्डो पर सर्वे कार्य एवं समस्या के लिये कार्यवाही करना।

- स्कूलो में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजना करना।

- अनुसूचित जाति/जनजाति एव महिला एव पुरूषो के लिये अत्याचारो सरकारी बजट पर कार्यवाही एडवोकेसी एवं पैरवी आदि करना।

- मानवाधिकारों पर जागरूकता एव कार्यवाही एव एडवोकेसी।

- निशक्तजन, विधवा परित्याक्ता महिलाओं को पेशन एव योजनाओ पर जागरूक करना।

- सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना पर सरकार प्रशासन से लाभ दिलवाना।

- स्कूलो व कॉलेज स्तर पर छात्रवृत्ति के लिये जानकारी एव लाभ दिलवाना।

- पर्यावरण पर जागरूकता वृक्षारोपण कार्यक्रम।

- जल प्रबन्धन एवं स्थास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम।

- बालक और बालिका शिक्षा पर जागरूकता एव उन्हे जोडने के लिये जागरूकता लाना।

- युवक. युवतियों को सामूहिक विवाह के लिये प्रोत्साहित कर उनका आर्थिक सामाजिक विकास करना।

- बालश्रम, बाल विवाह, एवं डायन प्रथा कुरूतियों की रोकथाम पर जागरूकता पर कार्यक्रम एडवोकेसी एव पैरवी करना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से जोडने के लिये स्वय सहायता समूहो से जोडना एव जागरूकता कार्यक्रम आदि करना।

- पंचायत राज व्यवस्था पर ग्राम पंचायतों से मिलकर पंचायत राज व्यवस्था पर कार्यक्रम एव प्रशिक्षणो का आयोजन करना।

- वृद्वजनों एवं खासतौर पर महिला वरिष्ठ नागरिक गृह की स्थापना से कर उनके वृद्व कार्यकाल को सवारने हेतु एक वरिष्ठ नागरिक गृह की स्थापना।

संस्थान की प्रमुख गतिविधियॉ की झलक.....

	संस्थान द्वारा ज्योति मेच संस्थान केकडी के साथ अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर कार्यषाला का आयोजन किया गया।
सस्थान द्वारा मॉगलियावास मे महिला अधिकारों पर बैठक का आयोजन किया गया जिसमे धरेलु हिंसा2005 कानून पर चर्चा कर उसमे प्रदत नियमों कानूनों के बारे में बताया	
	संस्थान द्वारा अत्याचारों पर एक दिवसीय जनसुनवाई का कार्यक्रम का आयोजन कर लोगो की जन समस्या को सुनकर उनकों उससे सम्बन्धित कार्यवाही के लिये बताया गया।

	अजमेर मे योजनाओ पर कार्यक्रम कर सभी सरकारी योजना पर और उनके अधिकारों के बारे चर्चा करते उनकी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई।
ग्राम पुष्कर में जनजागरूता कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जानकारी एवं गामीणों समस्याओं पर अपनी वेधना सुनाते लोग	
	बलिका षिक्षा को बढावा एवं प्रोत्साहन के लिये इनहे प्रस्तिति पत्र देकर उनको प्रोत्साहित किया गया।

	संस्थान द्वारा केकडी तहसील में अन्तराष्टिय मातृत्व दिवस के अवसर पर उनके अधिकारों में बारे मे बताते हुये।
समाजिक अध्ययन केन्द्र जयपुर के पदाधिकारी के साथ गॉव की आवास की समस्याओं पर सस्थान के साथ चर्चा करते हुये।	
	वृद्व महिलाओं के अधिकार एवं उससे सम्बन्धित पेषन योजना पर जानकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

महिला सषक्तिकरण एवं कुप्रथाओं पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया।	
	वरिष्ठ महिला नागरिक गृह मे महिलाओ को योगा करते हुए
संस्थान द्वारा वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के कम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	

	वरिष्ठ महिला नागरिक गृह में महिलाएँ गीत गाते हुए
सस्थान द्वारा ग्राम सेवरियॉ में दलित के साथ मारपीट के प्रकरण में पीडित परिवार से मिलकर उसके प्रकरण के बारे जानकारी हेतु यात्रा	
	संस्थान की सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन

संस्थान की कार्य संरचना ......

मुख्यकार्यकारणी कमेठी

मुख्यकार्यकारणी अधिकारी

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष समस्त सदस्य

सलाहकार समिति

राज्य समन्वयक कार्यक्रम जिला समन्वयक जिला ब्लाक
कमेठी

जिला महिला ब्लांक कमेठी ब्लाक समन्वयक

युवा मंच महिला विकास मंच बाल मंच

विवाह मंच महिला समूह महिला स्वयं सहायता समूह

महिला विकास मंच, अजमेर राजस्थान

क्र सं.	नाम	पद	पता	फोन / मो. न.
1.	सुश्री वन्दना सिसोदिया	राज्य सयोजिका	म. न. 1723, प्रकाश रोड नगरा अजमेर	7597184116
2.	श्रीमति गीता सॉवरिया, उपाध्यक्ष एम वी ए के एस अजमेर	सह सहयोजिका	म. नं. 343 / 35, शंकर नगर नगरा, अजमेर	8233150584
3.	सुश्री रेखा खनगवाल कार्यकर्ता एम वी ए के एस अजमेर	सह सहयोजिका	म. नं. 405 / 34, ईश्वर बस्ती, श्री नगर रोड अजमेर	9414006066
4.	सुश्री रेणृ चितौडिया एडवोकेट / ाएम वी ए के एस अजमेर	विधि अधिकारी	202 / 28 भजनगंज नई बस्ती अजमेर	9261161358
5.	श्री डा. प्रेरणा गुप्त, जे एल. एन चिकित्सालय अजमेर	सदस्या	ऑफिसर कॉलोनी, लोहाखान अजमेर	
6.	श्रीमति सुबिता बिजौनियॉ प्रीन्सीपल, मारवाड कॉलेज परबतसर, जिला नागौर	सदस्या	मारवाड कॉलेज, परबतसर जिला नागौर	9413171913
7.	श्रीमति मुन्नी देवी वैष्णव, कोमल बाल एवं महिला कल्याण संस्था	सदस्या	पसन्द नगर कोटडा अजमेर	9829752844
8.	श्रीमति सन्तोष ओझा कार्यकर्ता जिंक लिमिटेड कायड अजमेर	सदस्या	बैक कॉलोनी म. न. 29, काायड रोड अजमेर	7597314557
9.	श्रीमति सुनिता रावत प्रेरक कोरो इण्डिया	सदस्या	ग्राम हाथी पटट्ा, अजमेर	7073903480
10	श्रीमति कमला मेधवाल पूर्व जिला परिषद सदस्या अजमेर	सदस्या	ग्राम गनाहेडा वाया पुष्कर जिला अजमेर	
11	श्रीमति दुर्गा जी काउसलर, महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र अजमेर	सदस्या	महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र	

MANAV VIKAS AVAM ADHIKAR KENDRA SANSTHAN,AJMER
125/31,NON KARAN KA AHATA,NAGRA, AJMER

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2019

LIABILITIES	AMOUNT(`) AS ON 31/03/2018	AMOUNT(`) AS ON 31/03/2019	ASSETS	AMOUNT(`) AS ON 31/03/2018	AMOUNT(`) AS ON 31/03/2019
CAPITAL FUND	23,325.08	28,825.08	FIXED ASSETS		
(AS PER ANNEXURE 1)			BROADBAND	1,500.00	1,500.00
			COMPUTER	5,300.00	5,300.00
CURRENT LIABILITIES			FAN	1,250.00	1,250.00
CREDITORS	19,000.00	24,500.00	H.P. PRINTER	3,200.00	3,200.00
			MOBILE A/C	1,450.00	1,450.00
			TELEPHONE	800.00	800.00
			CURRENT ASSETS		
			DEPOSITS(ASSETS)	500.00	500.00
			CASH IN HAND	26,407.61	35,710.71
			BANK ACCOUNT	1,917.47	3,614.37
TOTAL	42,325.08	53,325.08	TOTAL	42,325.08	53,325.08

CAPITAL FUND ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

(ANNEXURE 1)

PARTICULAR	AMOUNT(`) YEAR ENDED 31/03/2018	AMOUNT(`) YEAR ENDED 31/03/2019	PARTICULAR	AMOUNT(`) YEAR ENDED 31/03/2018	AMOUNT(`) YEAR ENDED 31/03/2019
TO BALANCE C/D	23,325.08	28,825.08	BY BALANCE B/D	20,379.22	23,325.08
			BY SURPLUS	2,945.86	5,500.00
TOTAL	23,325.08	28,825.08	TOTAL	23,325.08	28,825.08

For A G & Associates
(Chartered Accountants)

Asim Gurjar
Asim Gurjar
(Proprietor)

FCA – M.NO. : 408377
FRN: 014977C
Bhinai House, Opp. City Palace, Civil Lines,
Ajmer – 305001 Rajasthan
Place : Ajmer
Date : 12/06/2019

For Manav Vikas Avam Adhikar
Kendra Sansthan, Ajmer

दुर्गा देवी
मानव विकास एवं अधिकार केन्द्र संस्थान अजमेर राजस्थान
Smt. Durga devi
(Chairman)

मानव विकास एवं अधिकार केन्द्र संस्थान अजमेर राजस्थान
Sh. Ramesh Chand Bansal
(Secretary)

MANAV VIKAS AVAM ADHIKAR KENDRA SANSTHAN,AJMER
125/31,NON KARAN KA AHATA,NAGRA, AJMER

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

EXPENDITURE	AMOUNT(`) YEAR ENDED 31/03/2018	AMOUNT(`) YEAR ENDED 31/03/2019	INCOME	AMOUNT(`) YEAR ENDED 31/03/2018	AMOUNT(`) YEAR ENDED 31/03/2019
BY TRAVELLING EXPENSES	1,180.00	3,068.00	TO DONATION RECEIVED	30,184.33	59,264.47
BY REPAIR & MAINTENANCE	-	1,000.00	TO BANK INTEREST	140.67	105.33
BY ACCOUNTING CHARGES	1,500.00	1,500.00			
BY BANK CHARGES	141.14	70.80			
BY COMPUTER ACCESSORIES	-	1,200.00			
BY LEGAL INTERVENTION EXPENSES	1,000.00	1,500.00			
BY REFRESHMENT EXPENSES	1,140.00	4,404.00			
BY GENERAL AWARENESS PROGRAMME EXPENSES	1,210.00	2,300.00			
BY WOMAN AWARENESS PROGRAMME EXPENSES	975.00	2,800.00			
BY LABOUR DAY PROGRAMME EXPENSES	850.00	2,200.00			
BY PRINTING & STATIONERY	965.00	2,560.00			
BY GENERAL OFFICE EXP.	1,170.00	3,755.00			
BY NEWSPAPER EXPENSES	1,629.00	3,248.00			
BY NET WORKING ROGRAMME EXPENSES	700.00	1400.00			
BY TELEPHONE EXPENSES	1,275.00	4,131.00			
BY CONVEYANCE EXPENSES	-	1,501.00			
BY POSTAGE EXPENSES	44.00	932.00			
BY AUDIT FEES	4000.00	5,500.00			
BY T.B.PROJECT EXPENSES	-	1,200.00			
BY OFFICE RENT EXPENSES	9,600.00	9,600.00			
SURPLUS (TRANSFERRED TO CAPITAL FUND) (EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE)	2,945.86	5,500.00			
TOTAL	30,325.00	59,369.80	TOTAL	30,325.00	59,369.80

For A G & Associates
(Chartered Accountants)
Asim Gurjar
(Proprietor)
FCA – M.NO. : 408377
FRN: 014977C
Bhinai House, Opp. City Palace, Civil Lines,
Ajmer – 305001 Rajasthan
Place: Ajmer
Date: 12/06/2019

For Manav Vikas Avam Adhikar Kendra Sansthan, Ajmer

Smt. Durga Devi (Chairman)

Sh. Ramesh Chand Bansal (Secretary)

मानव विकास एवं अधिकार केन्द्र संस्थान अजमेर

संस्थान की मिडिया झलक ....

सबको मिलकर देश से एड्स को भगाना है

जदूर दिवस पर मजदूर एव
अधिकार विषय पर संगो

ी निकाल लिया पर्यावरण सं

मानव विकास एवं अधिकार केन्द्र संस्थान अजमेर द्वारा संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया

अत्याचार निवारण अधिनि

बैठा शंकर, ढोल बजे और बाराती नाचे

अजा जजा अत्याचार अधिनियम की जानकारी दी

Dalit groom mounts horse under police protection

'Cops deliberately delaying probe'

धमकी के बाद पुलिस सुरक्षा में निकाली दलित दूल्हे की बिंदोली

CBI arrests two more in Dangawas Dalit atrocity

Cops lodge case against CU faculty members

Social media slurs on SC, ST punishable: HC

दैनिक नवज्योति

मानवाधिकारों के लिए की आवाज बुलन्द

पीड़ित दलित परिवार के घर पहुंची मानव अधिकार संस्थान की टीम

अजमेर,(काप्र.-सरेराह)। पाली जिले के रास थाना अंतर्गत ग्राम सेवरियां में दलित परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर घायल करने के गम्भीर मामले की मानव विकास एवं अधिकार केंद्र संस्थान के सचिव रमेश चंद बंसल के नेतृत्व में एक फैक्ट फाईनिंग जांच दल ग्राम सेवरियां के पिडित परिवार किस्तुरराम पुत्र खीयाराम मेघवाल एंव उसके परिवार से मिलकर वास्तुस्थिति का जायजा लिया। जिसमें 11जुलाई 20को उसी के शिवलाल जाट, दिनेश जाट, रामश्वेर जाट, सन्तुदेवी जाट, नेहा जाट, नत्थुराम जाट, लक्ष्मण जाट व प्रकाश जाट द्वारा कुल्हाड़ी,

कुंद, लाठियां से खेत पर कार्य कर रहे पीड़ित पर हमला कर दिया एवं जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया उक्त हमले से कास्तुरी चंद के सिर में गंभीर चोट होने के कारण ब्यावर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, किंतु स्थानीय पुलिस द्वारा चोट को गंभीर नहीं माना एवं साधारण धाराओं में मामला दर्ज किया गया साथ ही परिवार को जान से मारने की धमकी दी और आज भी सभी आरोपीगण पीड़ित एवं उसके परिवार को लगातार उल्टा झूठा मुकदमा दर्ज करवाने एवं जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार में दहशत है।दूसरी ओर 15 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी यही कि जिससे पीड़ितों को खतरा बना हुआ है। संस्थान से पीड़ितों ने आरोपियों कि गिरफ्तारी करवाने कि मांग की। संस्थान अपने स्तर उच्च स्तर पर इस मामले में कार्रवाई करेगा। टीम में रमेशचंद्र बंसल, डॉ.अम्बेडकर भीम सेना जिलाध्यक्ष कैलाश चिड़िवाल, युवा कार्यकर्ता मनीराम मेघवंशी, भगतसिंह, सुरेश मेघवाल, शामिल थे।

अंतरराष्ट्रीय मानवधिकार दिवस पर संगोष्ठी आयोजित

मांगलियावास| मानव विकास एवं अधिकार केन्द्र संस्थान के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर संगोष्ठी विशिष्ट प्राध्यापक शंकरलाल चिड़िवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। संस्थान के राज्य समन्वयक

रविकान्त नाथ ने संगठित व असंगठित मजदूरों पर अनेक अधिकार एवं विधिक कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। संरक्षक प्रेमलता गहलोत ने महिला एवं युवा बच्चों के मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर इसके उत्थान व भारत मे मानवाधिकारों की शुरूआत पर विस्तार से चर्चा की। समन्वयक रेखा खनगवाल, गीता सावरिया, इन्द्रा, नीतू गुर्जर, ओमप्रकाश ब्यावत, सांवरलाल डिया, किशनलाल सुवासिया, शिवप्रसाद जाग्रत, रतनलाल इड़िवाल आदि उपस्थित थे।